

क्रमांक एफ 5 (4) कृ.वि./सीयूजी/2019-20/16042-49

दिनांक:-11-03-2020

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा सी.यू.जी. सिम हेतु जारी LOI के पत्रांक 13262-65 दिनांक 08.03.2019 को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

*Dr*  
7/3/20

(डॉ ओम प्रकाश)  
आयुक्त कृषि

दिनांक:- 11-03-2020

क्रमांक एफ 5 (4) कृ.वि./सीयूजी/2019-20/16042-49

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन/योजना/आरकेवीवाई/फसल बीमा), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4. Business Head, Vodafone-Idea Mobile Services Limited, 5th Floor, Gaurav Tower, Malviya Nagar, Jaipur-302017, Rajasthan.
5. ACP कम्प्यूटर शाखा की विभागीय वेबसाइट, SPP ई-पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. आरक्षी पत्रावली

*[Signature]*  
संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)